न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 273/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रामबगस पुत्र श्री नारायणराम 2. भींयाराम पुत्र श्री नारायणराम ग्राम भूण्डाना, तहसील पीपाड शहर, जोधपुर।		1. तहसीलदार, पीपाड शहर, जोधपुर 2. व्यवस्थापक, राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक, सालवा खुर्द तहसील पीपाड शहर, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के आदेश दिनांक 28.03.2022 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 104/2019 अनवान तहसीलदार बनाम रामबगस वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः—

1— श्री माधवराज चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2— श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 की की ओर से ।
3— रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 26 अगस्त,2022

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार पीपाड शहर के द्वारा अपीलान्टस के विरूद्ध एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भूण्डाना के ख0सं0 550 रकबा 09 बीघा भूमि सम्वत 2015—18 में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज थी। जो सम्वत 2019—22 में बिना किसी नामा0 स्वीकृति के ख0सं0 550 नारायण वल्द हुकमा जाट का गैर खातेदार के रूप में बिना किसी आधार पर दर्ज कर दिया। जमाबन्दी सम्वत 2023—26 में राजकीय खाते की ख0सं0 550 रकबा 9 बीघा भूमि खाते के सामने विशेष विवरण में नामा0 दर्ज रम्बर 34 रकबा 9 बीघा, ख0सं0 550 नारायण वल्द हुकमा जाट के नाम से रेगुलाईज हुआ, का अंकन किया गया है जबकि इस दिनांक को नामा0 संख्या 34 फेसल नहीं हुआ था। तथा बिना नामा0 के निर्णय में जमाबन्दी में किसी भी तरह का नोट नहीं लगाया जाता है अतः यह नोट विधि विरूद्ध लगाया हुआ है। उक्त भूमि वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 3 के पक्ष में रहन है।

उक्त नामा0 संख्या 34 को वर्ष 1991 में तहसीलदार भोपालगढ के द्वारा खारिज कर दिया गया था। ऐसे में अपीलान्टस के पक्ष में दर्ज भूमि वास्तव में राजकीय भूमि है। अतः राज्य हित में उक्त इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर ख0सं0 550 रकबा 9 बीघा भूमि को वापस राजकीय खाते में दर्ज किया जावें। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2022 के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए ग्राम भण्डाना के ख0सं0 550 रकबा रकबा 9 बीघा किस्म बारानी ए में से अप्रार्थी संख्या एक

व दो यानि अपीलान्टस का नाम हटाया जाकर उसे पुनः राजकीय खाते में दर्ज कर निर्देश तहसीलदार पीपाडशहर को दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांटस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर के द्वारा उक्त अपीलाधीन प्रकरण दिनांक 6.8.2019 दर्ज करने के उपरान्त अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जिस पर अपीलान्टस के द्वारा जरिये अधिवक्ता अपना जवाब पेश किया तथा निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व ही उनके पिता श्री नारायणराम के नाम दर्ज थी और वे बतौर काबिज काश्तकार रहे है जिसकी बिघोडिया भरी गई थी। इसके बावजूद भी वक्त सेटलमेन्ट तत0 तहसीलदार के द्वारा गलत से श्री नारायणराम का नाम दर्ज न कर खसरा भूमि को तनाजा की श्रेणी मे दर्शा दिया गया जो कि सन्देहास्पद है। बिगोडियों की रसीदों व लगान पर्चो से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व ही अपीलार्थीगण के पूर्वज इस पर खेती करते थे परन्तु इन तथ्यों को दरकिनार कर भूमि का तनाजा दर्शाना प्रशासन व राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत एव जालसाजी का परिणाम था।

उनके पूर्वज नारायणराम के द्वारा उक्त गलती से आहत होकर भूल को सुधार करने बाबत प्रार्थना की गई जिसके फलस्वरूप सम्वत 2019 से 2022 (वर्ष 1962) की जमाबन्दी में प्रथम बार नारायणराम का नाम जमाबन्दी में काश्तकार दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त नामा0 संख्या 34 को खारिज करने की जो प्रकिया तहसीलदार भोपालगढ द्वारा अपनाई गई थी वो पूर्णतया विधि विरूद्ध थी, नामा0 खारिज करने से पूर्व अपीलान्टस को सूचित नहीं किया गया था और न ही सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस मे कथन किया कि पूर्व में तत्कालीन अति0 तहसीलदार बिलाडा के द्वारा दिनांक 28.08.1968 को एक निर्णय पारित कर ख0सं0 550 रकबा 9 बीघा भूमि को नारायणराम पुत्र हुकमाराम के पक्ष में विनियमित कर टीआरए व पटवारी को सूचित कर मिसल दाखिल दफ्तर करने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश को अब तक किसी भी राजस्व अधिकारी ने किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है, ऐसे में अति0 तहसीलदार बिलाडा के द्वारा पारित विनियमितिकरण आदेश स्वतः ही अन्तिम हो गया था। तो अन्य पदस्थापित तहसीलदार के द्वारा ही उक्त विनियमितीकरण आदेश की पालना में दर्ज नामा0 संख्या 34 को खारिज करना विधि विरूद्ध व गलत ही था। ग्राम के प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा राजस्व अधिकारियों पर दबाव बनाकर बेदखल करने का प्रयास किया गया और तहसीलदार पीपाडशहर की ओर से उक्त अपीलाधीन राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थीगण की ओर से ____ में एक रिट याचिका एस0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या

ख0स0 550 रकबा 9 बीघा भूमि को विवादित बताने के लिये ग्रामवासियों की ओर से एक सारहीन प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धारा 136 के तहत पेश किया जिसमें तहसीलदार पीपाडशहर संयोजित थे। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा भी ऐसा प्रार्थना पत्र पेश किया जाना तहसीलदार व ग्रामवासियों की मिलीभगत को दर्शाता हैं। अपीलार्थीगण के द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया था कि उक्त प्रार्थना पत्र को उल्लेखित आधारों पर खारिज करने का निवेदन किया था। उसके उपरान्त भी तथ्यों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस के द्वारा अपनी ओर से समस्त कार्यवाही बाबत विस्तार से अवगत कराया था। परन्तु उनके द्वारा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के उपलब्धों के तहत अपीलान्टस के पिता के नाम दर्ज खातेदारी को समाप्त कर राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाकर पारित किया है। तहसीलदार पीपाडशहर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया था कि नामा0 संख्या 34 के द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वज नारायणराम वल्द हुकमा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया है। उक्त नामा0 संख्या 34 को तहसीलदार भोपालगढ के द्वारा खारिज कर दिया है, इस प्रकार उनके द्वारा यह स्वीकारोक्ति तथ्य है कि उक्त नामा0 दर्ज हुआ था। उक्त दर्ज नामा0 संख्या 34 जोकि विनियमितिकरण आदेश दिनांक 28.8.1968 की पालना में दर्ज किया गया था तथा उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नारायणराम का नाम दर्ज हुआ था, उक्त विनियमितीकरण आदेश को किसी ने चुनौती नहीं दी। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत भू अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकिय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनको हितबद्ध पक्ष स्वीकार करे, बिना पक्षकार की सहमति स्वीकृती के ऐसा कोई राजस्व रेकर्ड दुरूस्त नहीं किया जा सकता है और न ही किसी के दर्ज खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पीपाडशहर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया था कि प्रकरण में क्या लिपिकिय त्रुटि हुई थी जो विधि के तहत शुद्धि की जा सकती थी और न ही भू अभिलेख अधिकारी ने पारित आदेश में यह निष्कर्ष दिया है कि ऐसी कौनसी राजस्व रेकर्ड में त्रुटि थी जिस लिपिकिय त्रुटि को धारा 136 के तहत शुद्ध करना न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधि संगत निष्कर्ष दिये ही आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के गुणावगुण पर भी किसी तरह से निष्कर्ष नहीं दिया है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इसी वादग्रस्त भूमि बाबत वर्ष 2018 में हमीराराम वगैराह के द्वारा धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हुआ था जो विचाराधीन है। उसके उपरान्त तहसीलदार की ओर से दूसरा प्रकरण प्रस्तुत किया जाना तथा अधिनस्थ न्यायालय में कानूनन पोषनीय नहीं था। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश गलत व अनुचित पारित किया गया है। अपीलान्टस के पूर्वज व अपीलान्टस

ख0स0 550 रकबा 9 बीघा भूमि को विवादित बताने के लिये ग्रामवासियों की ओर से एक सारहीन प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धारा 136 के तहत पेश किया जिसमें तहसीलदार पीपाडशहर संयोजित थे। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा भी ऐसा प्रार्थना पत्र पेश किया जाना तहसीलदार व ग्रामवासियों की मिलीभगत को दर्शाता हैं। अपीलार्थीगण के द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया था कि उक्त प्रार्थना पत्र को उल्लेखित आधारों पर खारिज करने का निवेदन किया था। उसके उपरान्त भी तथ्यों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस के द्वारा अपनी ओर से समस्त कार्यवाही बाबत विस्तार से अवगत कराया था। परन्तु उनके द्वारा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के उपलब्धों के तहत अपीलान्टस के पिता के नाम दर्ज खातेदारी को समाप्त कर राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाकर पारित किया है। तहसीलदार पीपाडशहर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया था कि नामा0 संख्या 34 के द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वज नारायणराम वल्द हुकमा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया है। उक्त नामा0 संख्या 34 को तहसीलदार भोपालगढ के द्वारा खारिज कर दिया है, इस प्रकार उनके द्वारा यह स्वीकारोक्ति तथ्य है कि उक्त नामा0 दर्ज हुआ था। उक्त दर्ज नामा0 संख्या 34 जोकि विनियमितिकरण आदेश दिनांक 28.8.1968 की पालना में दर्ज किया गया था तथा उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नारायणराम का नाम दर्ज हुआ था, उक्त विनियमितीकरण आदेश को किसी ने चुनौती नहीं दी। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत भू अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकिय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनको हितबद्ध पक्ष स्वीकार करे, बिना पक्षकार की सहमति स्वीकृती के ऐसा कोई राजस्व रेकर्ड दुरूस्त नहीं किया जा सकता है और न ही किसी के दर्ज खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पीपाडशहर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया था कि प्रकरण में क्या लिपिकिय त्रुटि हुई थी जो विधि के तहत शुद्धि की जा सकती थी और न ही भू अभिलेख अधिकारी ने पारित आदेश में यह निष्कर्ष दिया है कि ऐसी कौनसी राजस्व रेकर्ड में त्रुटि थी जिस लिपिकिय त्रुटि को धारा 136 के तहत शुद्ध करना न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधि संगत निष्कर्ष दिये ही आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के गुणावगुण पर भी किसी तरह से निष्कर्ष नहीं दिया है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इसी वादग्रस्त भूमि बाबत वर्ष 2018 में हमीराराम वगैराह के द्वारा धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हुआ था जो विचाराधीन है। उसके उपरान्त तहसीलदार की ओर से दूसरा प्रकरण प्रस्तुत किया जाना तथा अधिनस्थ न्यायालय में कानूनन पोषनीय नहीं था। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश गलत व अनुचित पारित किया गया है। अपीलान्टस के पूर्वज व अपीलान्टस

विनियमितिकरण किया गया था जो आज दिन तक प्रभावी है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्टस को पूर्व में नहीं रही, हाल ही में जब अपीलार्थीगण किसी अन्य कार्य से पीपाड़ गये तब जानकारी हुई, उसके पश्चात विधि द्वारा निर्धारित सीमा में देरी से अपील प्रस्तुत की गई है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे एवं उक्त हुई देरी को क्षमा किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 104/2019 में द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 में ग्राम भूण्डाना के ख0सं0 550 में स्थित रकबा 9 बीघा भूमि को राजकीय खाते में दर्ज कराने को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार, पीपाडशहर की ओर से धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के अनुसार बिना किसी नामा0 के जमाबन्दी में इन्द्राज किये जाने को विधि विरूद्ध मानते हुए उक्त खसरान भूमि में से अपीलान्टस का नाम हटाया जाकर राजकीय खाते में दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2022 को पारित किया है वो उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 28.03.2022 का अवलोकन किया तथा बहस के दौरान अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि को अति0 तहसीलदार, बिलाडा ने अपने आदेश दिनांक 28.06.1968 में यह अंकित किया गया है कि नारायण/हुकमा, निवासी– भुण्डाना, खसरा संख्या 550 रकबा 9 बीघा पर सम्वत 2012 से कब्जा रहा है, मौका भी अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा देखा गया तत्पश्चात भूमि का विनियमन प्रार्थी नारायण पुत्र हुकमा के पक्ष में किया गया है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर सम्वत 2012 की राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित से कब्जा सिद्ध है तथा प्रार्थी से सम्वत 2022 तक उक्त आराजी से लगान भी वसूल किया हुआ है। तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटी से तीन गुना शास्ति वसूल की ,जाकर भूमि का विनियमन किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2023–26 में भी यह नोट दर्ज है कि नामा0 संख्या 34 के जरिये खसरा संख्या 550 रकबा 9 बीघा भूमि नारायण पुत्र हुकमा के नाम दर्ज की गई है। दिनांक 21.11.1972 को नारायण पुत्र हुकमा की भूमि को रामबक्श/नारायण, भीयाराम/नारायण के नाम दर्ज की गई है। नारायण पुत्र हुकमा के देहान्त उपरान्त उनके उत्तराधिकारियों के नाम खसरा रकबा भूमि जमाबन्दी में सम्वत 2048–51 में दर्ज हो जाने के उपरान्त वर्ष 1991 में उक्त नामा0 संख्या 34 को काबिल खारिज योग्य होना इंगित किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार, बिलाडा के द्वारा उक्त वादग्रस्त रकबा भूमि के पारित ... जो कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा के

द्वारा चुनौती नहीं दी गई है जिस आदेश की पालना में अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये गये है।

इसके अतिरिक्त तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय अनुसार अपीलान्ट के पिता के पक्ष में किये गये भूमि विनियमन के आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राज तथा तदनुसार प्राप्त खातेदारी अधिकार राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के द्वारा समाप्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकार उल्लेखित आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश को विधि अनुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने योग्य होने एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2022 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर